समक्ष- एम.एम. कुमार और राजीव नारायण रैना माननीय न्यायमूर्ति

महाप्रबंधक संचालन मंडल, दक्षिण

हरियाणा बिजली वितरण निगम, नारनौल

और अन्य - अपीलकर्ता

बनाम

मथुरा दास गुप्ता-प्रतिवादी

एलपीए 2011 की संख्या 1580

फ़रवरी 10,2012

लेटर्स पेटेंट अपील, 1919, - खण्ड X ~ 'नो वर्क नो पे' का सिद्धांत प्रतिष्ठित - एक आपराधिक मामले में अपील में बरी होने के बाद एक कर्मचारी को लाभ देना - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज होने पर कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया - इसके बाद निलंबन रद्द किया गया - कर्मचारी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया - ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी सजा की तारीख से सेवा समाप्त कर दी गई - उच्च न्यायालय में अपील करने पर, कर्मचारी को बरी कर दिया गया - कर्मचारी ने सेवा में बहाली का अनुरोध किया - नियोक्ता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई - कर्मचारी ने रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें माना गया कि चूंकि कर्मचारी को बरी कर दिया गया था, इसलिए वह सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल होने का हकदार है - कर्मचारी के अभ्यावेदन पर उचित आदेश पारित करने के निर्देश के साथ रिट का निपटारा किया गया - सक्षम प्राधिकारी ने काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू किया।' बकाया वेतन से इनकार करने के लिए - कर्मचारी ने एक अन्य रिट याचिका द्वारा उक्त आदेश को चुनौती दी - रिट याचिका को लागत के साथ अनुमति दी गई - कर्मचारी को उस अवधि के लिए वेतन और भत्ते का हकदार माना गया जब वह सेवा से बाहर रहा और

उसकी निलंबन अवधि की अवधि के लिए भी - नियोक्ता द्वारा एलपीए को प्राथमिकता दी गई यह दावा करते हुए कि उन पर बकाया मजदूरी का भुगतान करने का बोझ नहीं डाला जा सकता क्योंकि उन्होंने अभियोजन शुरू नहीं किया था और यह राज्य सरकार के कहने पर था - एलपीए खारिज कर दिया गया क्योंकि डिवीजन बेंच ने पहले ही यह विचार कर लिया था कि बरी होने पर रिट याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया जाएगा। वह सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में पुनः बहाली का हकदार है जो उसे स्वीकार्य हैं।

अभिनिर्धारित किया गया, कि यह सच है कि जयपाल सिंह (सुप्रा) के मामले में, 1 सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार किया है कि यदि बिजली बोर्ड अभियोजन शुरू नहीं करता और यह राज्य सरकार के कहने पर था, तो उन पर बकाया वेतन का भुगतान करने का बोझ नहीं होगा क्योंकि कर्मचारी ने परीक्षण और सजा आदि की अवधि के दौरान काम नहीं किया था। हालांकि, यह निर्णय तथ्यों पर लागू नहीं होगा। वर्तमान मामले में क्योंकि इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पहले ही अपने आदेश दिनांक 8.4.2008 में यह विचार कर लिया है कि बरी होने पर रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी उसे स्वीकार्य सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में फिर से बहाल करने का हकदार होगा (पी-4). इसलिए, जयपाल सिंह के मामले में मेरे द्वारा उच्चतम न्यायालय का निर्णय (सुप्रा) लागू नहीं होगा। इसके अलावा, जयपाल सिंह के मामले (सुप्रा) के फैसले को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम नाथू काम, (2010) 1 एससीसी 428 के मामले में नयायमूरति द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है।

(पैरा 6)

अपीलकर्ताओं की ओर से संदीप सिंह, वकील, प्रताप सिंह वकील के लिए।

जय वीर यादव, अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए।

एम.एम. कुमार, न्यायमूर्ति

(1) लेटर्स पेटेंट के खंड X के तहत दायर त्वरित अपील में मुद्दा यह है कि क्या आपराधिक मामले में अपील में बरी होने के बाद कोई कर्मचारी सभी लाभ या सीमित लाभ देने का हकदार हो जाएगा। उपरोक्त प्रश्न की जांच उन तथ्यों के आलोक में की जानी आवश्यक है कि रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी

पदोन्नति के बाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (संक्षेप में, 'अपीलकर्ता-निगम') में लाइनमैन के रूप में काम कर रहा था - एक मामला एफआईआर संख्या 497, दिनांक 27.12.1993 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया। हालाँकि, उनका निलंबन 8.1.1994 को रद्द कर दिया गया था। 9.12.1995 को, उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और 16.12.1996 को उन्हें फिर से निलंबित कर दिया गया। 20.12.1996 (आर-3/1) को, ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने की तारीख से उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश पारित किया गया था, जिसे नीचे दिया गया है: -

"उन पर विशेष न्यायाधीश, नारनौल द्वारा राज्य बनाम मथुरा दास गुप्ता पुत्र श्री कांशी राम (ओपी) डिवीजन एचएसईबी, मोहिंदसीआरगढ़, जो कि गांव चुलिकाना थाना समालखा मंडी का रहने वाला है, के खिलाफ एफआईआर नंबर 497 दि. 27/12/1993

पीसी एक्ट-1988 की धारा 7 के तहत 27.12.93. मामले में मुकदमा चलाया गया था। निर्णय दिनांक 9.12.1995, के तहत विशेष न्यायाधीश ने उसे अपराध का दोषी ठहराया और आरोपी को धारा -7 पीसी अधिनियम -1988 के तहत अपराध के लिए डेढ़ साल के कठोर कारावास से दंडित करने का आदेश दिया।

एल/मैन के मामले में सक्षम प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने मामले के तथ्यों का अध्ययन किया है। चूँकि श्री. मथुरा दास गुप्ता, लाइनमैन को विशेष न्यायाधीश द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, इसलिए उस आचरण को ध्यान में रखते हुए जिसके कारण नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया, उसे बोर्ड सेवा में नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार श्री मथुरा दास गुप्ता, एल/मैन को दोषसिद्धि की तारीख से बर्खास्त किया जाता है?'

(2) रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को इस न्यायालय द्वारा 1996 की आपराधिक अपील संख्या 4-एसबी में दिनांक 9.11.2005 के फैसले से बरी कर दिया गया था। उन्होंने दिनांक 9.11.2005 के फैसले की प्रति के साथ दिनांक 19.12.2005 को एक आवेदन दायर किया और सेवा में बहाली का अनुरोध किया। इसके बाद, उन्होंने 2006 का सीडब्ल्यूपी नंबर 16605 दायर किया, जिसे इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने 8.4.2008 (पी-4) को अपीलकर्ता-निगम को एक निर्देश के साथ निपटाया कि वह पुन: बहाली और परिणामी लाभ की मांग करने वाले अपने प्रतिनिधित्व पर फैसला करे। निम्नानुसार अवलोकन करना:-

"याचिकाकर्ता का दावा है कि चूंकि याचिकाकर्ता की सेवाएं केवल उसकी दोषसिद्धि के कारण समाप्त कर दी गई थीं और उक्त दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया है, इसलिए, याचिकाकर्ता सेवा में बहाल होने का हकदार है और सभी परिणामी लाभों का भी हकदार है।

माना गया कि, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी होने के बाद उसके मामले पर विचार नहीं किया है, संभवत: इस आधार पर कि उसने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है। एक बार जब याचिकाकर्ता अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी हो जाता है, तो वह कानून में स्वीकार्य सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल होने का हकदार है। हो सकता है कि समय की बर्बादी के कारण, उसे सेवा में शारीरिक रूप से इस कारण से बहाल नहीं किया जा सकता है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है, लेकिन समाप्ति की अवधि आदि को नियमित करने के बाद सेवानिवृत्ति लाभ के लिए उनके दावे पर उत्तरदाताओं द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।

उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हम प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन, अनुलग्नक पी-5 से पी-7, पर 3 माह की अवधि के भीतर बहाली और परिणामी लाभ की मांग पर उचित आदेश पारित करने के निर्देश के साथ वर्तमान रिट याचिका का निपटारा करते हैं। आज से कुछ महीने, कानून के अनुसार। उत्तरदाताओं के लिए यह खुला होगा कि वे कानून के अनुसार, यदि कोई अनुमेय हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकें।" (महत्व जोड़ें)

(3) रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 7.7.2008 (पी-5) द्वारा तय किया गया था। उन्हें बकाया वेतन से वंचित करने के लिए 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू किया गया। सक्षम प्राधिकारी ने मामले के पक्ष और विपक्ष पर उचित विचार करने के बाद दिनांक 20.12.1996 के समाप्ति आदेश को इस शर्त के अधीन वापस लेने का निर्णय लिया है कि रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी निलंबन के वेतन और भत्तों के बकाया का दावा करने और पहले से भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते को छोड़कर किसी अन्य भत्ते का हकदार नहीं होगा। उपरोक्त आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती का विषय बन गया और इसे निम्नानुसार मानते हुए रद्द कर दिया गया है: -

"याचिकाकर्ता काम के लिए उपलब्ध था लेकिन उसे काम से वंचित कर दिया गया। समाप्ति उस आधार पर की गई थी जो अब उचित नहीं पाया गया है। क्या इस मामले में नो वर्क, नो पे का सिद्धांत सख्ती से लागू हो सकता है, जब उसकी सजा के आधार पर बर्खास्तगी को बाद में रद्द कर दिया गया हो? यानी याचिकाकर्ता को उसकी दोषसिद्धि के परिणाम भुगतने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस मामले में काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू होता नहीं दिख रहा है। इस संबंध में यूनियन ऑफ इंडिया वेयूनियन बनाम के.वी. जानकीरमन आदि, एआईआर 1991 सुप्रीम कोर्ट 2010 के मामले में की गई टिप्पणियों का संदर्भ लिया जा सकता है। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब किसी कर्मचारी को आपराधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही में पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है और उसे निंदा की सजा भी नहीं दी जाती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह कम से कम दोषी नहीं था, तो वह पदोन्नति पद के वेतन सहित किसी भी लाभ से वंचित न किया जाए।"काम नहीं तो वेतन नहीं" का नियम ऐसी आसानी पर लागू नहीं होता है जहां कर्मचारी काम करने के इच्छुक होते हुए भी बिना किसी गलती के अधिकारियों द्वारा काम से दूर रखा जाता है। 'यह कोई सहजता नहीं है जहां कर्मचारी अपने कारणों से काम से दूर रहता है।

यह एक अलग मामला हो सकता था, अगर याचिकाकर्ता को उसके कार्यालय से जुड़े अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था और उसने खुद को किसी ऐसी चीज में शामिल कर लिया था जिसके साथ विभाग की कोई चिंता या जिम्मेदारी नहीं थी। जैसा कि के.वी. जानकीरामक जानकीरमन के मामले (सुप्रा), में देखा गया जहां कार्यवाही, चाहे वह अनुशासनात्मक हो या आपराधिक, उदाहरण के लिए, कर्मचारी के कहने पर या अनुशासनात्मक कार्यवाही में मंजूरी में देरी या आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति संदेह के लाभ के साथ या कर्मचारी के कृत्यों के कारण साक्ष्य की अनुपलब्धता आदि के कारण विलम्ब होती है ऐसी परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों को यह तय करने की शक्ति दी जानी चाहिए कि क्या कर्मचारी बीच की अवधि के लिए किसी भी वेतन का हकदार है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह किस हद तक इसका हकदार है। जीवन जटिल होने के कारण, उन सभी परिस्थितियों का पूर्वानुमान करना और उनकी विस्तृत गणना करना संभव नहीं है जिनके तहत इस तरह का विचार आवश्यक हो सकता है। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद होने पर उन्हें नज़रअंदाज करना और एक अनम्य नियम बनाना कि जब भी किसी कर्मचारी को अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्त किया जाता है तो उसे सभी प्रकार के अधिकारों का हकदार होना चाहिए। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद होने पर उन्हें नज़रअंदाज करना और एक अनम्य नियम बनाना कि जब भी किसी कर्मचारी को अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्त किया जाता है तो उसे बीच की अवधि के लिए सभी वेतन का हकदार होना चाहिए, प्रशासन में अनुशासन को कमजोर करना और जनता के हित को खतरे में डालना है। इसलिए किसी कर्मचारी को वेतन देने से इनकार करना सभी परिस्थितियों में अवैध नहीं होगा।

यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जहां वेतन से इनकार किसी ऐसे कारण से हुआ हो जो सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में हो। यह एक सहजता है जहां याचिकाकर्ता पर अपराध का आरोप लगाया गया है जिसका सेवा से संबंध है। एक

बार जब याचिकाकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध से बरी कर दिया जाता है, तो उसे काम नहीं तो वेतन नहीं के आधार पर वेतन और भत्ते से वंचित करना उचित नहीं हो सकता है। नियम की दसियों स्थिति में भी, निलंबन की अवधि के लिए वेतन और भत्ते से इनकार किया जा सकता है। नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही आदेश दिया गया, जो जाहिर तौर पर नहीं किया गया है।

'तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। यानी याचिकाकर्ता को सेवा से बाहर रहने की अवधि और निलंबन अवधि की अवधि के लिए भी वेतन और भत्ते का हकदार माना जाता है। याचिकाकर्ता को लागत का भी हकदार माना जाता है, जिसका मूल्यांकन रुपये 10,000/ के रूप में किया जाता है।'

(4) अपीलकर्ता-निगम ने व्यथित होने पर तत्काल अपील दायर की है जिसमें दावा किया गया है कि काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू होगा। हमने पक्षों के विद्वान वकील को कुछ हद तक सुना है। अपीलकर्ता-निगम के विद्वान वकील श्री संदीप सिंह ने जोरदार तर्क दिया कि अपीलकर्ता-निगम की रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा चलाने में कोई भूमिका नहीं है क्योंकि यह राज्य का मुकद्दमा था और एक बार अपीलकर्ता-निगम की इसमें कोई भूमिका नहीं है। याचिकाकर्ता-प्रतिवादी पर काम नहीं करने की अवधि के लिए वेतन और अन्य लाभ देने के निर्देश का बोझ नहीं डाला जा सकता। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने ***भारत संघ बनाम जयपाल सिंह***[1] मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 3 पर भरोसा जताया है।

(5) इसके विपरीत, याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री जय वीर यादव ने जोरदार तर्क दिया है कि एक बार डिवीजन बेंच ने विचार कर लिया है, जैसा कि 2006 की सीडब्ल्यूपी संख्या 16605 (पी-4) में दिए गए दिनांक 8.4.2008 के फैसले में ऊपर उद्धृत किया गया है। और वह दृष्टिकोण अंतिम रूप ले चुका है तो रिट याचिका के प्रतिवादी को लाभ देने से इनकार करके उपरोक्त दृष्टिकोण को रद्द करना संभव नहीं है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि डिवीजन बेंच के फैसले के उद्धृत पैरा में यह कहा गया है कि एक बार रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को अपीलीय अदालत द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया तो वह सभी परिणामी शर्तों के साथ सेवा में बहाली का हकदार हो जाएगा।

(6) उपरोक्त तर्कों की पृष्ठभूमि में ही उठाए गए मुद्दे का निर्णय किया जाना है। यह सच है कि जयपाल सिंह (सुप्रा) के मुद्दे से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि यदि बिजली बोर्ड ने अभियोजन शुरू नहीं किया है और यह राज्य सरकार के कहने पर था, तो उन पर मजदूरी का भुगतान करने के दायित्व कि बोझ नहीं डाला जाएगा चूँकि कर्मचारी ने मुकदमे और दोषसिद्धि आदि की अवधि के दौरान काम नहीं किया था। हालाँकि, निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा क्योंकि इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश दिनांक 8.4.2008 में पहले ही यह

---

[1] (2004) 1 एससीसी 121

विचार कर लिया है कि बरी होने पर रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी उसे स्वीकार्य सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाली का हकदार होगा (पी-4)। इसलिए, जयपाल सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (सुप्रा) लागू नहीं होगा। इसके अलावा, जयपाल सिंह के मामले (सुप्रा) के फैसले को ***जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम नाथू राम*** के मामले में उनके आधिपत्य द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है।

(7) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में हमारा विचार है कि त्वरित अपील स्वीकार किए जाने लायक नहीं है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई राय अपील को स्वीकार किए जाने के लिए किसी कानूनी कमजोरी से ग्रस्त नहीं है। अपील पूरी तरह से निराधार है.

बर्खास्त.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला, हरियाणा